

# समाहरणालय, अररिया

## (जिला आपूर्ति प्रशाखा)

### विज्ञप्ति संख्या

सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 संशोधित 2004, 2011 एवं यथा संशोधित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) तृतीय संशोधन आदेश 2014 में प्रावधानित उपबंध एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या 61/खाद्य दिनांक 05.01.2015 द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं हेतु योग्य एवं आर्थिक रूप से सक्षम आवेदकों से अनुमंडलवार एवं कोटिवार रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

### पात्रता एवं शर्तें —

1. आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
2. आवेदक द्वारा दुकान/व्यापार स्थल जहाँ के लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, के संबंध में दस्तावेज संलग्न करेंगे।
3. आवेदक आर्थिक रूप से सक्षम हों।
4. आवेदक वयस्क होना चाहिए।
5. संयुक्त परिवार के कई सदस्यों के नाम से दुकान आवंटित नहीं किया जायेगा। परिवार की परिभाषा से निम्नलिखित सदस्य माने जायेंगे माता-पिता, भाई-भाभी, पति-पत्नी, पुत्र-पुत्रवधु, सौतेला भाई।
6. मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य, विधायक, सांसद, नगर निगम एवं नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य को उनके कार्यकाल तक दुकान आवंटित नहीं किया जायेगा।
7. आवेदक के पास आटा चक्की नहीं होना चाहिए।
8. आवेदक अवयस्क, पागल, विकृत चित्त या दिवालिया नहीं होना चाहिए।
9. आवेदक को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के उल्लंघन के कारण गत तीन वर्षों के दौरान कभी भी न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष नहीं उहराया गया हो।
10. यदि आवेदक आरक्षण का दावा करते हैं तो आरक्षण कोटि के साथ अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
11. आवेदन करने हेतु कोई शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता निर्धारित नहीं है, किन्तु अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले को पहले प्राथमिकता दी जायेगी। शैक्षणिक योग्यता समान रहने पर अधिक प्राप्तांक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। शैक्षणिक योग्यता और प्राप्तांक दोनों समान रहने पर अधिक उम्र के आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी।
12. आवेदक किसी सरकारी लाभ के पद पर पदस्थापित नहीं होना चाहिए।
13. विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व अनुज्ञप्ति हेतु दिए गये आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
14. अनुज्ञप्ति पाँच वर्ष के लिए निर्गत की जायेगी।
15. विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 25.08.2015 को अपराह्न 05:00 बजे तक निबंधित डाक से ही प्राप्त किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे। आवेदन पत्र के साथ आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र, अनियोजन प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे।
16. जन वितरण दुकान आवंटन प्रक्रिया के दौरान उच्चाधिकारियों अथवा माननीय न्यायालय का प्रतिकुल आदेश प्राप्त होने पर आवंटन प्रक्रिया बिना कारण बताए रद्द कर दिया जायेगा।

17. नियुक्ति में स्वयं सहायता समूह/ग्राम पंचायत/सहकारी समितियों/महिलाओं की सहयोग समितियों/पूर्व सैनिकों की सहकारी समितियों/शिक्षित बेरोजगार/संबंधित वार्ड अथवा पंचायत के निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी स्वयं सहायता समूह/पैक्स इत्यादि जैसी संस्थाओं को आवेदन के साथ पारित प्रस्ताव, जिसमें दुकान संचालन की प्रक्रिया संचालन हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का स्पष्ट उल्लेख हो, आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
18. पंचायतवार रिक्तियों की सूचना अनुमंडल/प्रखंड/अंचल/समाहरणालय के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है, इसके अतिरिक्त जिला के बेवसाईट :- WWW.Araria.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है।
19. रद्द दुकान के विरुद्ध निकाले गए रिक्तियों के विरुद्ध दुकान आवंटन माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के फलाफल पर निर्भर करेगा। यदि माननीय न्यायालय द्वारा रद्द दुकान बहाल करने का आदेश दिया जाता है तो उस पद पर आवंटित नई दुकान बिना कोई कारण बताए रद्द कर दिया जायेगा।

Ho/.

जिला पदाधिकारी,  
अररिया

ज्ञापांक 565/जि0आ0 दिनांक 31.7.2015

- प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया/फारबिसगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी, अररिया जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद्, अररिया/फारबिसगंज एवं नगर पंचायत, जोगबनी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला अवर सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- आयुक्त पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

31/7/15  
जिला पदाधिकारी,  
अररिया

		कुचहा								
	पलासी (4)	धर्मगज	-	-	-	-	-	-	-	-
		बलुआ कलियागज	1	-	-	-	-	1	-	-
		भीखा	-	1	-	-	-	-	-	-
		सोहन्दर	1	-	-	-	-	-	-	-
	जोकिहाट (10)	तारण	1	-	-	-	-	-	-	1
		काकन	-	-	-	-	-	-	1	-
		बगडहरा	1	-	-	-	-	-	-	-
		गिरदा	-	-	-	-	-	1	-	-
अररिया		मटियारी	-	-	-	-	-	-	-	-
		बागनगर	1	-	-	-	1	-	-	-
		चिल्हनियों	1	-	1	-	-	-	-	-
		पछियारी पिपरा	1	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	1	-	-	-	1	-
										1

रिक्तियों का वर्गवार विवरण, अनुमंडल- फारबिसगंज

अनुमंडल का नाम	प्रखंड/शहर का नाम	पंचायत का नाम	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनु० जन जाति	पिछड़ा वर्ग	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग की महिला	कुल	
फारबिसगंज	फारबिसगंज (59)	अमौना	1	1	-	-	-	-	3	
		बथनाहा	2	1	-	-	1	-	3	
		शहवाजपुर	1	-	-	-	-	-	3	
		मटियारी	2	-	-	1	-	-	3	
		पिपरा	1	1	-	-	-	-	3	
		रामपुर उत्तर	-	-	-	-	-	-	3	
		भागकोहलिया	1	-	-	-	1	-	2	
		आम्हारा	1	-	-	1	-	-	1	
		मझुआ	1	-	-	-	-	-	2	
		ढोलबज्जा	2	1	-	-	-	-	1	
		खैरखों	-	-	-	1	-	-	2	
		हरिपुर	1	1	-	-	1	-	4	
		मुसहरी	1	-	-	-	-	-	1	
		पोठिया	-	-	-	-	-	-	1	
		तिरसकुंड	2	1	-	-	1	-	2	
		रमै	1	-	-	-	1	-	1	
		परवाहा	1	-	-	1	-	-	3	
		अडराहा	-	1	-	-	1	-	2	
		सैफगंज	1	-	-	-	-	-	2	
		मिर्जापुर	1	-	-	-	-	-	1	
		झिरवा पछियारी	1	1	-	1	-	-	1	
		झिरवा पूरवारी	2	-	-	-	1	-	2	
		औराही पश्चिम	-	-	-	-	-	-	3	
		औराही पुरब	1	-	-	-	-	1	3	
		खवासपुर	-	-	-	-	1	-	1	
		बोकडा	1	1	-	1	-	-	1	
		डोरिया सोनापुर	2	-	-	-	-	-	1	
		फारबिसगंज नगर परिषद (4)	वार्ड नं० 1	-	1	-	-	1	-	2
			वार्ड नं० 14	1	-	-	-	-	-	3
			वार्ड नं० 18	-	-	-	-	-	-	1
			वार्ड नं० 21	1	-	-	1	-	-	1
		जोगबनी नगर पंचायत (4)	वार्ड नं० 2	-	-	-	-	-	-	1
			वार्ड नं० 4	1	-	-	-	-	-	1
			वार्ड नं० 6	-	-	-	1	-	-	1
			वार्ड नं० 7	1	1	-	-	-	-	1

रिक्तियों का वर्गवार विवरण, अनुमंडल- अररिया, जिला- अररिया

(1)

अनुमंडल का नाम	प्रखंड/शहर का नाम	पंचायत का नाम	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनु० जन जाति	पिछड़ा वर्ग	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग की महिला	कुल	
अररिया	कुर्साकांटा (7)	लैलोखर	-	-	-	1	-	-	1	
"		कुआडी	1	-	-	-	-	-	1	
"		डुमरिया	1	1	-	-	-	-	2	
"		पहुँसी	-	-	-	-	1	-	1	
"		कमलदाहा	1	-	-	-	-	-	1	
"		सौरगाव	-	-	-	-	-	-	1	
"		तरौना भोजपुर	1	-	-	-	-	1	1	
"	अररिया (14)	बांसबाडी	-	-	-	-	-	-	1	
"		रामपुर मोहनपुर पश्चिम	1	1	-	-	1	-	1	
"		मदनपुर पश्चिम	1	-	-	-	-	-	2	
"		हयातपुर	-	-	-	1	-	-	1	
"		बनगामा	1	-	-	-	-	-	1	
"		चिकनी	1	1	-	-	-	-	1	
"		पैकटोला	1	-	-	-	1	-	3	
"		कुसियारगांव	-	-	-	1	-	-	1	
"		चातर	1	-	-	-	-	-	1	
"		गैडा	-	-	-	-	1	-	1	
"		अररिया शहर (9)	वार्ड संख्या 5	1	-	-	-	-	-	1
"			वार्ड संख्या 6	-	1	-	-	-	-	1
"			वार्ड संख्या 7	1	-	-	-	-	-	1
"			वार्ड संख्या 8	-	-	-	-	-	-	1
"	वार्ड संख्या 9		1	-	-	-	1	-	1	
"	वार्ड संख्या 11		1	-	-	1	-	-	1	
"	वार्ड संख्या 17		-	1	-	-	-	-	2	
"	वार्ड संख्या 22		1	-	-	-	-	-	1	
"	रानीगंज (30)		बिस्टोरिया	1	1	-	-	1	-	1
"		विशनपुर	1	-	-	-	-	-	3	
"		हसनपुर	-	-	-	1	-	-	1	
"		परमानंदपुर	2	-	-	-	1	-	1	
अररिया		पधौरा	-	-	-	-	-	-	3	
"		परिहारी	1	-	-	-	-	1	1	
"		पहुँसरा	1	1	-	-	-	-	1	
"		मझुआ पुरब	1	-	-	-	1	1	3	
"		कालाबलुआ	1	-	-	1	-	-	2	
"		कोशकापुर दक्षिण	-	1	-	-	-	-	1	
"		खरहट	1	-	-	-	-	-	1	
"		गुणवंती	-	-	-	-	-	-	1	
"		मिर्जापुर	1	-	-	-	1	-	1	
"		मोहनी	1	-	-	-	-	-	1	
"		बसैटी	-	1	-	1	-	-	2	
"		घघरी	2	-	-	-	-	-	1	
"		धोबिनियाँ	2	1	-	-	2	-	4	
"	सिकटी (9)	मजरख	-	-	-	-	-	-	3	
"		मुरारीपुर	1	-	-	1	-	-	1	
"		बोकन्तरी	1	1	-	-	1	-	2	

"	नरपतगंज प्रखंड (54)	बेला	1	-	-	-	1	-	2	
"		बसमतिया	-	-	-	1	-	-	1	
"		बबुआन	2	1	-	-	1	-	4	
"		पथराहा	3	-	1	1	-	-	5	
"		मानिकपुर	-	1	-	-	-	-	1	
"		नवाबगज	1	-	-	-	-	-	1	
"		सोनापुर	3	-	-	-	2	1	6	
"		भंगही	1	1	-	-	-	-	2	
"		पोषदाहा	-	-	-	1	-	-	1	
"		बढेपारा	1	-	-	-	1	-	2	
"		खैरा	2	1	-	-	-	-	3	
"		मधुरा उत्तर	-	-	-	1	-	-	1	
"		मधुरा पश्चिम	2	-	-	-	1	-	3	
"		बढ़हारा	-	1	-	-	-	-	1	
"		फतेहपुर	1	-	-	-	1	-	2	
"		रामघाट कोशकापर	2	-	-	1	-	-	3	
"		दरगाहीगंज	1	1	-	-	-	-	2	
"		पलासी	1	1	-	-	1	-	3	
"		रेवाही	2	-	-	1	-	-	3	
"		खाब्दह	1	-	-	-	1	-	2	
"		फरही	-	-	-	-	-	1	1	
"		गोखलापुर	1	-	-	-	-	-	1	
"		भिरदौल	-	1	-	-	-	-	1	
"		तामगंज	1	-	-	-	-	-	1	
"		गोडराहा विशनपुर	1	-	-	-	1	-	2	
"		भरगामा (38)	कुशमौल	-	-	-	1	-	-	1
"			जयनगर	2	1	-	-	1	-	4
"			शंकरपुर	2	-	-	1	-	-	3
"			सिरसिया हनुमानगंज	-	1	-	-	-	-	1
"			सिरसिया कला	1	-	-	-	1	-	2
"			रघुनाथपुर उत्तर	1	-	-	-	-	-	1
"			रघुनाथपुर दक्षिण	1	-	-	-	1	-	2
"	पैकपार		-	1	-	-	-	-	1	
"	भरगामा		1	-	-	-	-	-	1	
"	मानुल्लाह पट्टी		1	-	-	1	1	-	3	
"	खजुरी		1	1	-	-	-	-	2	
"	खुटहा बैजनाथपुर		2	-	-	1	-	-	3	
"	बीरनगर पश्चिम		1	-	-	-	1	-	2	
"	विषहरिया		1	1	-	-	-	1	3	
"	वीर नगर पुरब		1	-	-	-	1	-	2	
"	नया भरगामा		2	-	-	1	-	-	3	
"	धनेश्वरी		1	1	-	-	-	-	2	
"	हरिपुर कला		1	-	-	-	1	-	2	

नोट:- उम्मीदवार का विकलांगता 40 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। रोस्टर बिन्दु 01 से 33 तक एक पद दृष्टि निःशक्ता। रोस्टर बिन्दु 34 से 67 तक एक पद मूक, बधिर निःशक्ता, 68 से 100 तक एक पद चालन निःशक्ता।

23/7/16